दूरभाष – 05278-246223,
05278-246224
फैक्स – 05278-246330

डा0 राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय, फैजाबाद (उ0प्र0)

पत्रांक : लो0अ0वि0/सी0–09/पी0एस0–190सी/2017 **दिनांक 09 फरवरी, 2017**

सी0पी0एम0टी0–2016 के अर्ह आवेदनकर्ताओं की फीस वापसी से सम्बन्धित सूचना

सी0पी0एम0टी0 2016 के समस्त अर्ह आवेदनकर्ताओं को सूचित किया जाता है कि उत्तर प्रदेश शासन के पत्र सं0 1816/71–2–2016–81/2016 दिनांक 12 मई 2016 के अनुपालन में सी0पी0एम0टी0 2016 के अर्ह आवेदनकर्ताओं द्वारा जमा की गयी फीस के वापसी की प्रक्रिया को प्रारम्भ किये जाने के लिए 145288 अर्ह अभ्यर्थियों में से 133039 अभ्यर्थियों द्वारा अन्तिम रूप से विस्तारित तिथि 23 जनवरी 2017 तक सी0पी0एम0टी0 वेबसाइट पर अपलोड किये गये Refund Bank Account का विवरण स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया को 07 फरवरी 2017 को प्रथम चरण की फीस वापसी की प्रक्रिया प्रारम्भ किये जाने हेतु उपलब्ध करा दिया गया है। सम्बन्धित बैंक द्वारा निर्धारित बैंकिंग प्रक्रिया के माध्यम से फीस वापसी के प्रथम चरण में आवेदन–शुल्क की लगभग 74.42 प्रतिशत धनराशि अभ्यर्थियों द्वारा सी0पी0एम0टी0 वेबसाइट पर अपलोड किये गये Refund Bank Account में स्थानान्तरित की जायेगी।

विश्वविद्यालय कार्यपरिषद की बैठक दिनांक 29.11.2016 में लिए गए निर्णय के अनुक्रम में फीस वापसी की यह प्रक्रिया दो चरणों में विभक्त की गयी है। प्रथम चरण में अभ्यर्थियों को उनके द्वारा जमा की गई फीस का लगभग 74.42% वापस किया जा रहा है जो सामान्य/अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों द्वारा जमा किए गए शुल्क रु0 1400/– के सापेक्ष रु0 1042/– तथा अनु0 जाति/अनु0 जनजाति वर्ग के अभ्यर्थियों द्वारा जमा किए गए शुल्क रु0 700/– के सापेक्ष रु0 521/– है। कार्यपरिषद के निर्णयानुसार विश्वविद्यालय द्वारा परीक्षा की तैयारियों में व्यय धनराशि की प्रतिपूर्ति (जिसकी मांग शासन से की गयी है) शासन से प्राप्त होने के पश्चात द्वितीय चरण में अभ्यर्थियों को आवेदन–शुल्क की अवशेष धनराशि (सामान्य/अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए रु0 358/– तथा अनु0 जाति/अनु0 जनजाति वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए 179/–) वापस की जाएगी। कार्यपरिषद के निर्णयानुसार अभ्यर्थियों को प्रथम एवं द्वितीय चरण में वापस की जाने वाली फीस उनके द्वारा सी0पी0एम0टी0– 2016 वेबसाइट पर अपलोड किए गए fees refund bank account detail में उल्लेखित बैंक एकाउण्ट में स्थानान्तरित की जाएगी।

यह भी सूच्य हो कि सी0पी0एम0टी0 2016 परीक्षा के समस्त 145288 अर्ह अभ्यर्थियों को अन्तिम रूप से fee refund bank account detail सी0पी0एम0टी0–2016 की वेबसाइट पर upload किये जाने के लिए विस्तारित तिथि 23 जनवरी, 2017 तक का समय प्रदान किया गया था तथा तत्सम्बन्धी सूचना उन्हें उनके रजिस्टर्ड ईमेल पर प्रेषित करते हुए 16 जनवरी 2017 को सी0पी0एम0टी0 वेबसाइट पर सूचना अपलोड कर दी गयी थी, किन्तु 12249 अभ्यर्थियों द्वारा अन्तिम रूप से निर्धारित तिथि तक भी refund account detail सी0पी0एम0टी0 वेबसाइट पर upload नहीं किया गया है। ऐसे अभ्यर्थियों के सम्बन्ध में शीघ्र ही चेयनमैन, सी0पी0एम0टी0 2016 तथा कार्यपरिषद द्वारा निर्णय लिया जायेगा एवं उन्हें तदनुसार ईमेल एवं सी0पी0एम0टी वेबसाइट के माध्यम से सूचित कर दिया जायेगा।

सी0पी0एम0टी0 2016 के अभ्यर्थियों एवं उनके अभिभावकों द्वारा फीस वापसी के सम्बन्ध में विश्वविद्यालय से किए जा रहे पत्राचारों के परिप्रेक्ष्य में विश्वविद्यालय द्वारा यह आवश्यकता महसूस की जा रही है कि शासन के पत्र दिनांक 12 मई 2016 द्वारा सी0पी0एम0टी0–2016 परीक्षा को निरस्त किए जाने के उपरान्त निर्देशानुसार फीस वापसी की प्रक्रिया प्रारम्भ किए जाने में होने वाले विलम्ब तथा फीस वापसी की प्रक्रिया को दो चरणों में विभक्त किए जाने से सम्बन्धित समुचित कारणों से अभ्यर्थियों तथा उनके

अभिभावकों एवं समस्त सम्बन्धित को अवगत कराया जाना आवश्यक है। इस परिप्रेक्ष्य में विश्वविद्यालय का आधिकारिक पक्ष बिन्दुवार निम्नवत है–

1. सूच्य हो कि शासन के पत्र सं0 1047/71–2–2016–127/2011 दिनांक 05 मार्च 2016 द्वारा परीक्षा के आयोजन के सम्बन्ध में महत्वपूर्ण नीतिगत निर्णय/निर्देश, जिसके परिप्रेक्ष्य में परीक्षा आयोजित की जानी थी, के निर्देश क्रमांक–11, पृष्ठ–7 पर स्पष्ट रूप से उल्लेखित है कि सी0पी0एम0टी0–2016 परीक्षा के लिए आवेदनकर्ताओं द्वारा जमा किया गया आवेदन–शुल्क नॉन–रिफन्डेबल है। इसी क्रम में यह भी सूच्य हो कि
शासन के पत्र संख्या एम0ई0–3/2016/671 दिनांक 09 मई 2016 द्वारा अनुमोदित सी0पी0एम0टी0–2016 की विवरण पुस्तिका (Brochure) जिसे सी0पी0एम0टी0 2016 की अधिकृत वेबसाइट पर अभ्यर्थियों के लिए अपलोड किया गया है में "महत्वपूर्ण सुचनाएं" शीर्षक के अन्तर्गत पृष्ठ सं. 05 के बिन्दु–6 पर स्पष्ट अंकित है कि परीक्षा आवेदन शुल्क नान–रिफन्डेबल है।
2. सूच्य हो कि शासन के पत्र सं0 1816/71–2–2016–81/2016 दिनांक 12 मई 2016 द्वारा परीक्षा निरस्त किए जाने के उपरान्त अभ्यर्थियों द्वारा जमा किए गए शुल्क को वापस किए जाने के निर्देश के आलोक में, अभ्यर्थियों के हित में, उपरोक्त बिन्दु संख्या–01 में उल्लिखित तथ्यों के बाद भी विश्वविद्यालय कार्यपरिषद ने अपनी बैठक दिनांक 17 मई 2016 में शासनादेश दिनांक 12 मई 2016 का अनुपालन सुनिश्चित किए जाने का निर्णय लेते हुए परीक्षा तैयारियों के सन्दर्भ में विश्वविद्यालय द्वारा किए गए व्यय की प्रतिपूर्ति शासन द्वारा प्रदान किए जाने के उपरान्त अभ्यर्थियों को आवेदन–शुल्क वापस किए जाने का निर्णय लिया। साथ ही कार्यपरिषद ने अपने निर्णय में यह भी सुनिश्चित किया कि विभिन्न बैंकिंग माध्यमों का प्रयोग करते हुए अभ्यर्थियों द्वारा जमा की गयी फीस उनके स्वयं के या उनके अभिभावकों के बैंक एकाउण्ट में ही वापस हो इसलिए समस्त अभ्यर्थियों के लिए सी0पी0एम0टी0 वेबसाइट को पुनः खोलते हुए अन्तिम रूप से 31 अगस्त 2016 तक उन्हें रिफण्ड बैंक एकाउण्ट विवरण अपलोड करने का अवसर दिया गया। कार्यपरिषद के उक्त निर्णय से शासन को विश्वविद्यालय पत्र दिनांक 05 जून 2016 के माध्यम से अवगत करा दिया गया।
3. तथ्यात्मक पक्ष यह भी है कि उक्त परीक्षा के निरस्त किए जाने की तिथि तक विश्वविद्यालय द्वारा परीक्षा आयोजन के सम्बन्ध में तत्सम्बन्धी धनराशि व्यय करते हुए समस्त तैयारियां पूरी की जा चुकी थीं मात्र केन्द्रों पर परीक्षा सामग्री प्रेषित करना तथा केन्द्रों पर परीक्षा संचालित किये जाने का ही कार्य अवशेष था। उक्त के सन्दर्भ में विश्वविद्यालय कार्यपरिषद की बैठक दिनांक 17 मई 2016 के निर्णयानुसार शासन से परीक्षा तैयारी के सन्दर्भ में विश्वविद्यालय द्वारा व्यय की गयी धनराशि की प्रतिपूर्ति हेतु आग्रह करते हुए दिनांक 11 अगस्त 2016 को शासन को आधिकारिक रूप से सूचित कर दिया गया कि प्रतिपूर्ति प्राप्त होने के पश्चात ही फीस वापसी की प्रक्रिया प्रारम्भ की जाएगी।
4. शासन से परीक्षा तैयारियों में व्यय/भुगतान हेतु अवशेष धनराशि की प्रतिपूर्ति के लिए विश्वविद्यालय स्तर से नियमित अन्तराल पर पत्राचार किया जाता रहा है (शासन को प्रेषित पत्र दिनांक 01 जुलाई 2016, 11 अगस्त 2016, 15 सितम्बर 2016, 03 अक्टूबर 2016, 20 अक्टूबर 2016 तथा 21 दिसम्बर 2016) तथा व्यय प्रतिपूर्ति के सन्दर्भ में तत्सम्बन्धी व्यय प्रमाणकों की प्रमाणित प्रति भी उपलब्ध करायी जा चुकी है।
5. शासन स्तर से परीक्षा तैयारियों से सम्बन्धित व्यय/भुगतान हेतु लम्बित धनराशि की व्यय प्रतिपूर्ति में विलम्ब की स्थिति को देखते हुए विश्वविद्यालय विधि परामर्शी की विधिक राय के आधार पर विश्वविद्यालय कार्यपरिषद ने अपनी बैठक दिनांक 29 नवम्बर 2016 में फीस वापसी की प्रक्रिया पर पुनर्विचार करते हुए यह निर्णय लिया कि फीस वापसी की प्रक्रिया को दो चरणों में विभक्त करते हुए परीक्षा तैयारी में व्यय/भुगतान हेतु अवशेष धनराशि की कटौती करते हुए प्रथम चरण में बची